प्रेषण शाखा
2/8

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–..............

संख्या–8/आ0 (राज0उ0)–2–16/2016 2769 /श्री विकास कुमार सिन्हा, तत्का0 सहायक आयुक्त उत्पाद, गया सम्प्रति सहायक आयुक्त उत्पाद, भोजपुर के विरूद्ध मे0 शिप्रा बिवरेज प्रा0 लि0 पर अधिरोपित दण्ड की राशि वसूल नहीं करने के कारण विभाग द्वारा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं राजस्व क्षति आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0–3818 दिनांक–11.08.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री श्रीकृष्ण पासवान, उपायुक्त उत्पाद, पटना–सह–मगध प्रमंडल, पटना द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–146 दिनांक 27.09.2016 समर्पित किया गया, जिसमें राजस्व क्षति एवं लापरवाही के आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के अन्तर्गत विभागीय ज्ञापांक–2976 दिनांक 11.07.2017 द्वारा द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री सिन्हा द्वारा अपना बचाव वयान अपने पत्रांक–1770 दिनांक 08.08.2017 द्वारा समर्पित किया गया, जिसमें आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

4.संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरांत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–4760 दिनांक 28.11.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी।

5. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–59 दिनांक 09.04.2018 द्वारा परामर्श दिया गया है कि वाद सं0–30/2016 में दिनांक 19.07.2016 को पर्षदीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश के आलोक में उक्त न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित हो जाने के पश्चात् आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर सम्यक् समीक्षोपरान्त दण्ड अधिरोपन की कार्रवाई करते हुए आयोग के विचारार्थ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

6.श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही तीन वर्षो से लम्बित है। विभाग द्वारा सर्वश्री शिप्रा बिवरेज प्रा0 लि0 की 1.00 (एक) करोड़ की जमानत राशि जब्त की जा चुकी है, जो कम्पनी पर अधिरोपित अर्थदण्ड का 10 प्रतिशत अर्थात् 20.67 (लाख) से अधिक है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। सर्वश्री शिप्रा बिवरेज प्रा0 लि0 के सारे साजो–सामान एवं संयत्र को राज्य के बाहर स्थानांतरण करने की अनुमति विभाग द्वारा दी जा चुकी है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विकास कुमार सिन्हा के विरूद्ध पूर्व प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार करते हुए श्री सिन्हा को आरोपों से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

2/8/19

(अभय राज)

सरकार के अपर सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0(राज0 उ0)–2–16/2016 –........./ 2769 पटना, दिनांक– 02.08.19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2/8/19

सरकार के अपर सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0(राज0 उ0)–2–16/2016 –........./ 2769 पटना, दिनांक– 02.08.19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री विकास कुमार सिन्हा, तत्का0 सहायक आयुक्त उत्पाद, गया सम्प्रति सहायक आयुक्त, मद्य निषेध, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2/8/19

सरकार के अपर सचिव,

बिहार, पटना।